न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

नाक्र 3057 दि 7/09/18 प्रकरण क्रमांक/27/धारा 92/2017–18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार)– आवेदक
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार

विरुध्द

1. श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश, ... अनावेदकगण
   तत्का.सरपंच,
2. श्री रामश्या रावत
   तत्का.सचिव,
   ग्राम पंचायत धाबा

//आदेश//
(पारित आदेश दिनांक 07.09.2018)

प्रस्तुत प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक /2149/2014 दिनांक 11.09.2014 के आधार पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार ने अपने कथन दिनांक 11.09.2014 में बताया है कि ग्राम पंचायत धाबा में मर्यादा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में स्वीकृत 196 शौचालयों हेतु 901600/–रू. उक्त राशि में से निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा द्वारा 809600/–रू. का आहरण किया जाकर 60 शौचालय निर्माण का कार्य किया गया। 45 शौचालय का निर्माण कार्य अपूर्ण है। अनावेदकगणो व्दारा शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नही कराया जाकर 414000/– रू. अधिक राशि का आहरण किया जाकर राशि का दुरूपयोग किया जाकर वित्तीय अनियमितता की गई।

प्रचलित प्रकरण के संबंध में दिनांक 27.12.2017 को तत्का. सरपंच/सचिव को नोटिस जारी किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 17.01.2018 को तत्का. सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं तत्का सचिव श्री रामश्या रावत द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि 414000/–रू. वसूली योग्य राशि के संबंध 360000/–रू का शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, शेष वसूली योग्य राशि 54000/–रू. कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में जमा किये गये है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर द्वारा दिनांक 27.01.2016 को प्रकरण समाप्त किया गया। जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई। तत्संबंध में दिनांक 13.04.2018 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार नोटीस जारी कर अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र कमांक/2282/ज.पं. /2018 दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि वसूली योग्य राशि 414000/–रू में से तत्का सरपंच/सचिव द्वारा 40000/–रू कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में जमा किये गये, परन्तु शेष राशि 374000/–रू से 44 शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया था। भौतिक सत्यापन कराये जाने पर 11 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया। 33 शौचालय का निर्माण कार्य अपूर्ण स्थिति में पाया गया। प्रति शौचालय हेतु 9000/–रू प्रदाय की गई इस प्रकार 33x9000= 297000/–रू वसूली योग्य दर्शाई गई।

प्रमाणित सत्यप्रति
अति. मु. का.अ.
जि.पं. बुरहानपुर

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजो एवं जवाब का अध्ययन करने पर पाया गया कि शौचालय निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा के तत्का. सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं तत्का सचिव श्री रामश्या रावत द्वारा 297000/–रू की अधिक राशि आहरित कर निर्माण कार्य नही किया गया ना ही अधिक आहरित राशि जमा की गई। इस प्रकार 297000/–लाख रू वसूली योग्य है।

F:\Lekha 15-16\Parit_Order_in_2017-18\Parit Order in 2017-18\Khaknar\Order in Parit Khaknar Dhara 40- 92 (Year 2018--2019).doc
87 6 sep 18

पुनः दिनांक 15.06.2018 एवं दिनांक 03.07.2018 को राशि रुपये 29700.00 जमा करने हेतु पत्र जारी किये गये परन्तु अनावेदकगणो व्दारा राशि जमा नहीं कराई गई। अनावेदकगणो ने दिनांक 16.07.2018 को बिना साक्ष्य के जवाब दिया है, मान्य योग्न नहीं है।

कुल राशि 297000/-रू मे से रू. 148500/- तत्का. सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं 148500/-रू तत्का. सचिव श्री रामश्या रावत ग्राम पंचायत धाबा 15 दिवस में राशि कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में जमा करें, अन्यथा उन्हे म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

अनावेदक सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश ग्राम पंचायत धाबा द्वारा आर्थिक अनियमितता एवं पद के निर्वहन में की गई लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के प्रावधानों के तहत निवार्चन के लिये 6 वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित किये जाने हेतु आदेश दिया जाता है। अन्य अनावेदक(सचिव) के विरूद्ध सक्षम अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

(शीलेन्द्र सिंह) 7/9/18
I.A.S.
विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर (विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रमाणित सत्यप्रति

अति. मु. का.अ.
जि.पं., बुरहानपुर

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित श्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर(विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रमाणित सत्यप्रति

अति. मु. का.अ.
जि.पं., बुरहानपुर